फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री देवीसिंह पुत्र श्री अमरसिंह सोलंकी नि. पबराना पोस्टः टीकर वाया चारभुजा रोड़ तहसील आमेट जिला राजसमंद — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, आमेट, तहसीलदार आमेट — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 35/2022**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 11.07.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेट एवं तहसीलदार, आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेट एवं तहसीलदार, आमेट को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, आमेट एवं तहसीलदार, आमेट से जरिये पत्र कमांकः सूचना का अधिकार/2022/161–162 दिनांक 22.6.2022 एवं सू.अ./2022/40–41 दिनांक 17.6.2002 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट द्वारा पत्रांक रीडर/आर.टी.आई./2022/05 दिनांक 12.5.2022 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अपीलार्थी को भिजवाई जा चुकी है । लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, आमेट के पत्र कमांकः सूचना का अधिकार/2022/161–162 दिनांक 22.6.2022 एवं संशोधित पत्र कमांकः 169 दिनांक 06.07.2022 अनुसार रास्ते के संबंध में कार्यालय में प्रकरण संख्या 683/2018 अर्जुन सिंह बनाम देवीसिंह विचाराधीन होने के कारण न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, आमेट, तहसीलदार, आमेट की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेट एवं तहसीलदार, आमेट की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार आमेट द्वारा पत्रांकः रीडर/आर.टी.आई./2022/05 दिनांक 12.05.2022 द्वारा रजिस्टर्ड पत्र से अपीलार्थी को भिजवाई जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, आमेट एवं तहसीलदार, आमेट को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर